सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 525 राँची ,गुरुवार

24 आश्विन 1936 (श०)

16 अक्टूबर, 2014 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

8 अक्टूबर, 2014

विषय: रिम्स, रांची के कार्यरत चिकित्सकों को 10,05,29,688/- (दस करोड़ पाँच लाख उन्नतीस हजार छः सौ अट्ठासी) रूपये मात्र अनुमानित वार्षिक व्यय पर वर्तमान चिकित्सकों के कार्यबल के आधार पर गैर व्यावसायिक भत्ता के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-11/रिम्स(स्था0)-01-13/2012-198(11)--झारखण्ड राज्य गठन के पश्चात् तत्कालीन राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को विभागीय अधिसूचना सं0-518(1) दिनांक 12 अगस्त, 2002 द्वारा राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के नाम से अधिसूचित किया गया। उक्त संस्थान में वर्तमान में 991 शयया हैं, जिसमें मुख्यत: असहाय, गरीबों एवं साधारण लोगों को समुचित चिकित्सा प्रदान की जाती है। रिम्स का विकास एवं आवर्त्तक व्यय सरकारी अनुदान पर निर्भर है।

2. रिम्स में दो श्रेणी के चिकित्सक कार्यरत हैं। श्रेणी-1, वैसे चिकित्सक, जो राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के समय से कार्यरत हैं तथा जिन्होंने अपनी सेवायें विकल्प के रूप में रिम्स में दिये जाने हेतु वर्ष 2002 में रिम्स के स्वायत्तशासी संस्था बनने के पश्चात् दिये हैं। श्रेणी-2,

वैसे चिकित्सक, जिनकी नियुक्ति रिम्स अधिनियम एवं नियमावली, 2002 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा खुले विज्ञापन के आधार पर की गई है।

3. बिहार सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना सं0-2060(एफ) 2 दिनांक 28 मार्च, 2000 के द्वारा चिकित्सकों को गैर व्यावसायिक भत्ते के भुगतान की स्वीकृति दी गई थी। परन्तु झारखण्ड सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना सं0-1178(एफ) दिनांक 9 मई, 2001 के द्वारा चिकित्सकों को गैर व्यावसायिक भत्ते के भुगतान को दिनांक 1 मार्च, 2001 के प्रभाव से रोक दिया गया था।

4. रिम्स शासी परिषद की बैठक दिनांक 23 अक्टूबर, 2002 एवं दिनांक 9 जून, 2005 को क्रमश: द्वितीय एवं नौवीं बैठक में चिकित्सकों को गैर व्यावसायिक भत्ते के भुगतान करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, निदेशक, रिम्स के पत्रांक-3778 दिनांक 28 जून, 2005 द्वारा चिकित्सकों को गैर व्यावसायिक भत्ते, उनके वेतन का 25 प्रतिशत वेतन+महंगाई भत्ते का 50 प्रतिशत जोड़कर दिनांक 1 नवम्बर, 2002 के प्रभाव से भुगतान की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ दी गई कि सरकार से इस पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा और यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तब ऐसी स्थिति में पूर्व में भुगतान की गई गैर व्यावसायिक भत्ता वसूलनीय होगी।

5. हालांकि, उक्त प्रस्ताव वर्ष 2010 में वित्त विभाग के समक्ष गैर व्यावसायिक भत्ते के भुगतान हेतु लाया गया था तथा इस पर अनुमोदन प्राप्त नहीं हो सका। किन्तु रिम्स प्रशासन ने गैर व्यावसायिक भत्ते के भुगतान को जारी रखा। स्वास्थ्य विभाग के बजट आवंटनादेश सं0-29(7) 'ब' दिनांक 29 मई, 2012 को गैर योजना मद के सहायक अनुदान राशि के निर्गत करने के साथ कहा गया कि वेतनमद के शीर्ष से गैर व्यावसायिक भत्ते का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

6. रिम्स नियमावली, 2002 के नियम 15(3) के अनुसार 'संस्थान के सभी पद गैर व्यावसायिक (Non Practicing) होने के फलस्वरूप रिम्स में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा गैर व्यावसायिक भत्ते के भुगतान हेतु प्राय: ज्ञापन दिया जाता है एवं आन्दोलन किया जाता है।

7. मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 9 जुलाई, 2012 को सम्पन्न बैठक में रिम्स के प्रावधानों के अनुरूप चिकित्सकों के उनकी कार्य कुशलाता एवं कौशल के आकलन के आधार पर उन्हें गैर व्यावसायिक भत्ते के भुगतान पर विचार किया गया एवं यह भी निर्णय लिया गया कि प0 बंगाल, रिम्स अधिनियम एवं नियमावली को इस हद तक तदनुसार संशोधित किया जाय कि रिम्स के सभी चिकित्सकों का पद गैर व्यावसायिक होगा और उन्हें गैर व्यावसायिक भत्ता अनुमान्य होगा।

8. रिम्स शासी परिषद की दिनांक 27 फरवरी, 2013 को सम्पन्न हुई 32वीं बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

(क) शासी परिषद रिम्स के चिकित्सकों/शिक्षकों को क्षत्तिपूर्त्ति भत्ता के संबंध में रिम्स नियमावली, 2002 के नियम 15(3) सह पठनीय नियम, 13 झारखण्ड सेवा संहिता, 2001 के प्रावधानों के अनुरूप गैर व्यावसायिक भत्ता भुगतान करने की अनुशंसा की गई तथा गैर व्यावसायिक भत्ता के भुगतान के लिए नियमानुसार यह निर्णय लिया गया कि विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाय, साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि रिम्स नियमावली, 2002 के नियम 15(3), के उल्लंघन के दोषी पाये जाने पर चिकित्सक/शिक्षक नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे। रिम्स के चिकित्सक/शिक्षक प्राईवेट प्रैक्टिस करते पकड़े जाते हैं, तो उनके विरूद्ध असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली आदि के तहत अनुशासानिक कार्रवाई करते हुए दोषी पाये जाने पर इनके एन0पी0ए0 मद में दी गई भुगतान की संपूर्ण राशि की एकमुस्त वसूली कर ली जाएगी। यह व्यवस्था रिम्स नियमावली, 2002 के नियम 15(3) सह पठित नियम-13 के अन्तर्गत उस समय तक प्रभावी रहेगा, जब तक संस्थान स्वयं अपनी सेवा, अनुशासान एवं आचार संबंधी नियमावली बना नहीं लेती है।

(ख) विभाग स्तर पर प्रभारी विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जो रिम्स के चिकित्सा शिक्षकों पर निगरानी रखेगा कि वे प्राईवेट प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं। समिति औचक निरीक्षण संबंधी प्रतिवेदन विभाग के समक्ष प्रतिवेदित करेगी। औचक निरीक्षण के क्रम में क्षेत्र विशेष के थाना प्रभारी यथा अनुरोध करने पर निगरानी समिति को पूर्ण सहयोग करेंगे।

(ग) रिम्स के चिकित्सक/शिक्षक को एन0पी0ए0 का भुगतान राज्य सरकार के अनुदान की राशि से किया जाएगा।

9. उपयुक्र्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में रिम्स, रांची के चिकित्सकों/शिक्षकों के वर्त्तमान में कार्यबल के आधार पर गैर व्यावसायिक भत्ते की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा निम्न रूप से स्वीकृति प्रदान की गई है:-

(i) एन0पी0ए0 का भुगतान अधिसूचना (संकल्प) निर्गत के तिथि से देय होगा।

(ii) पूर्व में सरकार के स्पष्ट रोक के बावजूद भुगतान की गयी राशि की वसूली/नियमितिकरण के बिन्दु पर निर्णय, 03(तीन) सदस्यीय समिति, जिसमें विकास आयुक्त, विशेष सचिव एवं स्वास्थ्य सचिव रहेंगे, से प्राप्त प्रतिवेदन के पश्चात् लिया जाएगा।

10. स्वास्थ्य विभाग द्वारा निम्न प्रकार जांच दल का गठन किया जाएगा:-

(1) स्वास्थ्य विभाग का पदाधिकारी/एक आई0एम0ए0 का प्रतिनिधि तथा स्थानीय सी0एस0/निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को रखा जाएगा।

(2) एक टीम निदेशक, रिम्स द्वारा गठित कर अनुश्रवण करेगा।

(3) एक टीम प्रमण्डलीय आयुक्त, क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं /स्थानीय एस0डी0ओ0 तथा नगर निगम का एक पदाधिकारी रख कर जांच करा सकते हैं।

(4) समय-समय पर Detail, Newspapers/Reg. Website पर प्रकाशित किया जाएगा।

11. रिम्स प्रबन्धन Biometric Attendance की व्यवस्था नियम के लागू होने के पूर्व सुनिश्चित कर लेना चाहेगा।

12. सभी चिकित्सकों से एक 'पाथ पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा।

13. यह उन्हीं चिकित्सकों पर लागू होगा जो कि रिम्स नियमावली के नियमण के अधीन होंगे।

14. यह 25 प्रतिशत होगा जो मात्र मूल वेतन + जी0पी0 का होगा वशर्त्ते कि मूल वेतन + जी0पी0 मिलाकर रू0 85,000/- से अधिक न हो, इस आधार पर अन्य वेतन भत्ता प्रभावित नहीं होगा।

Calculation निम्न प्रकार होगा:-

(i)	-	मूल वेतन + जी0पी0
(ii)	-	डी0ए0
(iii)	-	एच0आर0ए0
(iv)	-	टी0ए0
(v)	-	एन0पी0ए0-(i) का 25%
Total		

15. वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्लू0पी0(एस0) सं0-1595/12 एवं डब्लू0पी0(एस0) सं0-1620/2012 में पारित आदेश का सार संक्षेप इस प्रकार है:-

"In view of the aforesaid discussions made, such direction cannot be said to be sustainable in law as well as on facts. Therefore, the impugned direction is quashed. The petitioners and other eligible persons working in RINPAS who have been availing the benefit of non-practicing allowance, shall be entitled to avail the same, till an appropriate decision is taken by the Competent Authority in accordance with law.

Both the writ petitions are allowed in the aforesaid terms. All the pending I.As are accordingly closed."

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बी0 के0 त्रिपाठी,
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 525–50 ।